



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| (1). निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | (2). समस्त विभागाध्यक्षगण,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| (3). विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। | (4). डॉ० संजीव गुप्ता,
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| (5). श्री आशीष कुमार गुप्ता,
असिस्टेंट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। | |

पत्रांक : 1989 / पत्रा.सं०-568(द्वितीय) / डा.श.मि.रा.पु.वि. / वि०परि० / 2022-23

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2022

विषय:- डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या परिषद की 26वीं बैठक
दिनांक: 24 सितम्बर, 2022 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या परिषद की 26वीं बैठक दिनांक: 24 सितम्बर, 2022 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,


(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के विद्या परिषद की

26वीं बैठक दिनांक: 24 सितम्बर, 2022 का कार्यवृत्त

समय—	मध्याह्न: 03:00 बजे
स्थान—	पंचम तल स्थित सभागार
	डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा० विद्या परिषद की 26वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। मा० विद्या परिषद बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं को प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:--

क्र०सं०	विषय
1/26	मा० विद्या परिषद की 25वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में। निर्णय:--मा० विद्या परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/26	मा० विद्या परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में। निर्णय:--मा० विद्या परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या मा० विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
3/26	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी०टेक, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में 60 सीटों के नवीन बैच को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णय:--मा० विद्या परिषद की आहूत बैठक में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी०टेक, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में 60 सीटों के नवीन बैच को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए मा० विद्या परिषद में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संकाय तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में लगभग 150 कम्प्यूटरों से लैस व सम्बन्धित साफ्टवेयरों के लाइसेन्सों से लैस 04 पूर्णकालिक कम्प्यूटर प्रयोगशालायें विद्यमान हैं। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान एक स्ववित्त पोषित संस्थान है। तत्क्रम में मा० परिषद द्वारा विद्यार्थियों की रुचि पर लैब व फैकल्टी आदि को देखते हुए विद्यार्थीहित में B.Tech कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में 60 सीटों के नवीन अतिरिक्त बैच को विद्यार्थी हित में दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी०टेक, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में 60 सीटों के नवीन बैच को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

4 / 26	विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में M.Tech पाठ्यक्रम का संचालन किये जाने पर विचार।																																	
	निर्णय:- मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में M.Tech पाठ्यक्रम का संचालन किये जाने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सत्र 2016-17 से B.Tech पाठ्यक्रम की 05 विधाओं में संचालित है, जिसमें से 03 सत्र के विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर अन्यत्र सेवारत्/अध्ययनरत् हैं। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में उपलब्ध कम्प्यूटर लैब व																																	
	विद्यार्थियों की मांग आदि को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 से पी0जी0 पाठ्यक्रम M.Tech की दो विधाओं यथा-M.Tech in Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence & Machine Learning एवं M.Tech in Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence & Data Science में 20-20 सीटों पर प्रवेश लेते हुए पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मा0 विद्या परिषद में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए विद्यार्थी हित में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में M.Tech in Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence & Machine Learning एवं M.Tech in Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence & Data Science में 20-20 सीटों पर प्रवेश लेते हुए पाठ्यक्रमों के संचालन किये जाने हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए संबंधित पाठ्यक्रम में निम्नवत् शुल्क निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी:- अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में M.Tech पाठ्यक्रम का निर्धारित शुल्क <table> <tr> <th>क्र0सं0</th><th>शुल्क</th><th>धनराशि</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Admission Fee</td><td>1,000.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Exam Fee</td><td>3000.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Tution Fee</td><td>3200.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Library Fee</td><td>2000.00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Development Fee</td><td>1500.00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Caution Money</td><td>5000.00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Insurance Fee</td><td>105.00</td></tr> <tr> <td>8</td><td>SWF</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Games Fee</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>44805.00</td></tr> </table>	क्र0सं0	शुल्क	धनराशि	1	Admission Fee	1,000.00	2	Exam Fee	3000.00	3	Tution Fee	3200.00	4	Library Fee	2000.00	5	Development Fee	1500.00	6	Caution Money	5000.00	7	Insurance Fee	105.00	8	SWF	100.00	9	Games Fee	100.00		Total	44805.00
क्र0सं0	शुल्क	धनराशि																																
1	Admission Fee	1,000.00																																
2	Exam Fee	3000.00																																
3	Tution Fee	3200.00																																
4	Library Fee	2000.00																																
5	Development Fee	1500.00																																
6	Caution Money	5000.00																																
7	Insurance Fee	105.00																																
8	SWF	100.00																																
9	Games Fee	100.00																																
	Total	44805.00																																

5/26	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रयोगशालाओं के निर्माण व स्थापना के सम्बन्ध में।
	निर्णय:—मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रयोगशालाओं के निर्माण व स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों को इस संबंध में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सत्र 2016-17 से B.Tech पाठ्यक्रम संचालित है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूनिक्शन इंजीनियरिंग तथा कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग विभाग की कुछ प्रयोगशालायें संचालित हैं व अन्य समस्त प्रयोगशालाओं का निर्माण विद्यार्थी हित में अनिवार्य है।
	तत्काल में मा0 परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में मानकानुसार न्यूनतम कुल 18 प्रयोगशाला एवं 01 वर्कशाप की नितान्त की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु मात्र 06 प्रयोगशाला स्थापित है। ऐसी स्थिति में कम से कम 12 प्रयोगशाला एवं 01 वर्कशाप को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के हित एवं उनके आवश्यकताओं के दृष्टिगत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रयोगशालाओं के निर्माण व स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/26	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संचालित B.Tech एवं M.Tech पाठ्यक्रम में प्रवेश के सन्दर्भ में।
	निर्णय: मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संचालित ठण्जम्बी एवं डण्जम्बी पाठ्यक्रम में प्रवेश के सन्दर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए मा0 परिषद में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के B.Tech पाठ्यक्रम में संचालित विषय क्रमशः—Engineering Economics, Industrial Sociology, Industrial Psychology, Industrial Management, Constitution of India, Effective Teaching Communication, Environment Science and Engineering, Non-Conventional Energy Resources आदि संचालित हैं। विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में M.Tech in Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence & Machine Learning एवं M.Tech in Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence & Data Science में 20-20 सीटों पर प्रवेश लेते हुए पाठ्यक्रमों के संचालन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के हित एवं उत्थान हेतु प्रयासरत् है। विश्वविद्यालय में संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्ववित्त पोषित है जिस हेतु संस्थान को पूर्ण रूपेण संचालित किए जाने एवं उससे आय अर्जित कर संस्थान का विकास किया जा सके इस संबंध में आवश्यक है कि संस्थान के पाठ्यक्रमों की अधिकांशतः सीटें पर शतिप्रतिशत प्रवेश किया जा सके। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के पाठ्यक्रमों में शत-प्रतिशत प्रवेश किए जाने के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए निम्नवत् निर्णय प्रदान किए गए:—

	1. B.Tech पाठ्यक्रम हेतु अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में B.Tech पाठ्यक्रम में प्रवेश पिछले सत्र में अत्यन्त अल्प हुए थे, जिनकी संख्या 300 सीटों के सापेक्ष केवल 49 थी। अतः स्ववित्त पोषित संस्थान की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु व विद्यार्थी हित में काउंसलिंग के उपरान्त रिक्त शेष सीटों पर JEE (Mains), CUET, 12th Marks Merit Basis व संस्थान स्तर से “प्रथम आवत प्रथम पावत” के आधार पर प्रवेश लिये जाने हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. M.Tech पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सत्र 2022–23 से M.Tech पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों का प्रवेश GATE/B.E./B.Tech./MCA/M.Sc. Marks Merit Basis पर आधारित मेरिट के अनुसार प्रवेश लिये जाने हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 3. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सत्र 2022–23 में शत-प्रतिशत प्रवेश किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय वेबसाइट में प्रवेश पोर्टल खोले जाने का निर्णय लिया गया।
7/26	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संविदा व नियत मानदेय के आधार पर 01 पद सहायक प्रोफेसर, प्रबन्धशास्त्र व 01 पद सहायक प्रोफेसर/प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान की सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:—विश्वविद्यालय में आहूत मा0 विद्या परिषद की बैठक में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संविदा व नियत मानदेय के आधार पर 01 पद सहायक प्रोफेसर, प्रबन्धशास्त्र व 01 पद सहायक प्रोफेसर/प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान की सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुए मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के B.Tech पाठ्यक्रम में संचालित विषय क्रमशः—Engineering Economics, Industrial Sociology, Industrial Psychology, Industrial Management, Constitution of India, Effective Teaching Communication, Environment Science and Engineering, Non-Conventional Energy Resources आदि संचालित हैं। मा0 परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि इन समस्त पाठ्यक्रमों के पठन-पाठन हेतु संविदा व नियत मानदेय के आधार पर 01 पद सहायक प्रोफेसर-प्रबन्धशास्त्र व 01 पद सहायक प्रोफेसर/प्रोफेसर-पर्यावरण विज्ञान की नितान्त आवश्यकता है। उक्त दोनों पदों पर विज्ञापन पूर्व में विज्ञापित पदों के साथ नहीं हो पाया था। अतः मा0 विद्या परिषद द्वारा संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के हित के दृष्टिगत उपरोक्त पदों पर संविदा व नियत मानदेय के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

8 / 26	विश्वविद्यालय में University Incubation Center की स्थापना किये जाने पर विचार।						
	निर्णय:—विश्वविद्यालय में आहूत मा0 विद्या परिषद की बैठक मेंविश्वविद्यालय में University Incubation Center की स्थापना किये जाने के संबंध में विचार—विमर्श करते हुए मा0 विद्या परिषद में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में इण्डस्ट्री आदि से समन्वय स्थापित करने हेतु स्टार्ट—अप व छोटे—छोटे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु व विश्वविद्यालय में नैक आदि प्रक्रिया में योगदान दिए जाने हेतु विश्वविद्यालय में एक University Incubation Center की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। तत्क्रम में मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में University Incubation Center की स्थापना किये जाने हेतु यथावांछित अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नवत् निर्देश प्रदान किए गए:— 1. University Incubation Centerके संचालन हेतु प्रो0 नागेन्द्र यादव को निदेशक नियुक्त किए जाने पर सहमति प्रदान की गयी।						
9 / 26	विश्वविद्यालय में साईन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर की सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।						
	निर्णय:— विश्वविद्यालय में आहूत मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक मेंविश्वविद्यालय में साईन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर की सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार—विमर्श करते हुए मा0 परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में 12 साइन लैंग्वेज इन्प्रेटर्स सूचीबद्ध किये गये थे, परन्तु वर्तमान में मात्र 06 साइन लैंग्वेज इन्प्रेटर्स द्वारा सेवाएं दी जा रही है, जिसके कारण से पठन—पाठन का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित नहीं हो पा रहा है। वर्तमान शैक्षिक सत्र से डेफ कालेज के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जाना है जिस हेतु उक्त के अतिरिक्त पठन—पाठन का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु अतिरिक्त साइन लैंग्वेज इन्प्रेटर्स की आवश्यकता है। मा0 परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि सूचीबद्ध साइन लैंग्वेज इन्प्रेटर्स द्वारा विश्वविद्यालय से उन्हें प्राप्त होने वाले मानदेय अपेक्षाकृत कम है जिस कारण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने दायित्वों से मुक्त हो रहे हैं। मा0 परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय प्रदान किए गए:— 1. विश्वविद्यालय में साइन लैंग्वेज इन्प्रेटर्स का मानदेय धनराशि रू0 22,000.00 से वृद्धि करते हुए धनराशि रू0 27,000.00 (रू0 सत्ताइस हजार मात्र) नियत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. विश्वविद्यालय में साइन लैंग्वेज इन्प्रेटर्स के पद हेतु योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया:— <table><tr><th>S.No.</th><th>Name of Post</th><th>Minimum Qualification</th></tr><tr><td>1.</td><td>Sign Language Interpreter</td><td>A. Essential Qualification</td></tr></table>	S.No.	Name of Post	Minimum Qualification	1.	Sign Language Interpreter	A. Essential Qualification
S.No.	Name of Post	Minimum Qualification					
1.	Sign Language Interpreter	A. Essential Qualification					

			1). Bachelor's Degree in any discipline from a recognized Institute/University. 2). "C" level course in Indian Sign Language/Diploma in Indian Sign Language Interpretation from any Institute/University recognized by RCI. 3) Proficiency test or Sign Language Interpretation. 4) Valid RCI Registration.
			B. Desirable Qualification 1) Master's Degree in any discipline with 55% marks.
10/26	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संचालित विभागों में NBA Accreditation हेतु एक-एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में।		
	निर्णय:-विश्वविद्यालय में आहूत मा0 विद्या परिषद की बैठक में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संचालित विभागों में NBA Accreditation सफलतापूर्वक कराए जाने हेतु एक-एक एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। तत्क्रम में मा0 परिषद को विश्वविद्यालय में संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्थान के संबंध में अवगत कराया गया कि AICTE व मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार संस्थान में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों का National Board of Accreditation (NBA) से एक्रिडिटेशन कराया जाना अनिवार्य होगा। इस एक्रिडिटेशन से विश्वविद्यालय में संचालित बी0टेक0 पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा व सरकार तथा AICTE द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन्स का भी पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तृत वार्तापरान्त मा0 परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित बी0टेक0 पाठ्यक्रमों के National Board of Accreditation (NBA) से एक्रिडिटेशन कराये जाने हेतु संस्थान में संचालित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग, कंप्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग तथा एप्लाइड साइन्स एण्ड ह्यूमेनिटीज विभाग हेतु एक-एक सेवारत/सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर जिनकी आयु 70 वर्ष कम हो, नियत वेतनमान के आधार पर तथा नियुक्ति किए जाने हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया:- 1. National Board of Accreditation (NBA) से एक्रिडिटेशन कराये जाने हेतु एक-एक सेवारत/सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर नियुक्ति किए जाने हेतु AICTE में प्रख्यात मानकों का पालन किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। 2. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संचालित विभागों में NBA Accreditation के संचालन हेतु एक-एक सेवारत/सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर जिसका नियत मानदेय प्रोफेसर के लिए		

	धनराशि रु0 80,000.00 एवं एक एसोसिएट प्रोफेसर जिसका नियत मानदेय धनराशि रु0 70,000.00 प्रदान किए जाने के साथ ही नियुक्ति किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी।
11/26	शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पी-एचडी पाठ्यक्रमों में नवप्रवेशित शोधार्थियों के कोर्स वर्क के सम्बन्ध में।
	निर्णय:—शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नव प्रवेशित शोधार्थियों हेतु कोर्स वर्क के संचालन के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों के द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। तत्क्रम में मा0 परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-2022 पी0एच0डी0 प्रवेश परीक्षा साक्षात्कार के उपरान्त विभागवार अन्तिम रूप से सफल घोषित किए गए विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 20 सितम्बर 2022 तक विस्तारित की गयी थी। इन नव प्रवेशित शोधार्थियों की विभागवार सूची शोध प्रकोष्ठ तथा परीक्षा नियंत्रक, कार्यालय को प्रेषित किए जाने के उपरान्त इन शोधार्थियों का कोर्स वर्क पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय प्रदान किये गये:— 1. कोर्स वर्क के अन्तर्गत रिसर्च मैथेडोलॉजी का एक कॉमन प्रश्न पत्र तथा शोधार्थियों के विषय से सम्बन्धित प्रश्न पत्र की कक्षाएं संचालित कराये जाने के निर्देश प्रदान किए गए। 2. समस्त शोधार्थियों हेतु कामनरिसर्च मैथेडोलॉजीकी कक्षाएं संचालित कराए जाने हेतु प्रो0 आर0 आर0 सिंह को समन्वयक नामित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विभागों के निर्देशन में शोधार्थियों के विषय से सम्बन्धित कक्षाओं के संचालन किए जाने के निर्देश प्रदान किया गया। 3. उक्त दोनों ही प्रश्न पत्रों की कक्षाएं प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे के मध्य हाईब्रिड मोड(ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) में आयोजित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त सभी विभागों को नव प्रवेशित (2021-22) शोधार्थियों की सूची के साथ अपने विभागों में शोध हेतु कुल रिक्त सीटों की संख्या (आरक्षण के साथ) कुलसचिव कार्यालय को दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 तक उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गए।
12/26	राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में स्नातक पाठ्यक्रम में विषयों के चयन/आवंटनके सम्बन्ध में।
1.	निर्णय:—मा0 विद्या परिषद् को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों को अंगीकृत करते हुए शिक्षण कार्य का संपादन विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रारम्भ किया जा चुका है। किन्तु शैक्षिक सत्र 2021-2 हेतु आयोजित बी0ए0 प्रथम वर्ष के अधिसत्र परीक्षाओं में कई विद्यार्थियों द्वारा मात्र 02 मेजर, 01 माइनर इलेक्टिव, 01 वोकेशनल के साथ 01 को-करीकुलर विषय की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया है। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय प्रदान किया गया कि उक्त कक्षा के समस्त विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 03 मेजर, 01 माइनर इलेक्टिव, 01 को-करीकुलर तथा 01 वोकेशनल पेपर की

	परीक्षा में सम्मिलित होने की अनिवार्यता होगी। परिषद को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि विगत शैक्षिक सत्र में कला एवं संगीत संकाय के अन्तर्गत संचालित बी०ए० पाठ्यक्रम में शिक्षाशास्त्र विद्यार्थियों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा है किन्तु शिक्षाशास्त्र विषय को विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने से वर्तमान शैक्षिक सत्र में बी०ए० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थी इस विषय के अध्ययन वंचित रह जा रहे हैं। चूँकि विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा वैकल्पिक विषय के रूप में इसका चयन कर अध्ययन किया जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। अतः परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त
	शिक्षाशास्त्र विषय को पुनः संगीत एवं कला संकाय के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
13/26	विधि संकाय में एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:—विश्वविद्यालय में आहूत मा० विद्या परिषद की आहूत बैठक में विधि संकाय में एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मा० परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अन्तर्गत बी०काम० एलएल.बी० पाठ्यक्रम का संचालन शैक्षणिक सत्र 2014-15 से संचालित है, इसके अतिरिक्त पूर्व में मा० विद्या परिषद, मा० कार्य परिषद एवं मा० सामान्य परिषद द्वारा बी०ए०एल०बी० पंचवर्षीय इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। मा० विद्या परिषद में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विधि संकाय में विद्यार्थियों को प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के रूप में एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उक्त पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्त एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में संचालित किए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव श्री अनिल कुमार मिश्र जी को नामित किया गया।
14/26	विश्वविद्यालय के वर्तमान परिदृश्य में दिव्यांगजन के शारीरिक विकास एवं उच्च शिक्षा में प्रोफेशनल कोर्स के रूप में स्नातक स्तर पर बी०पी०एड० पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:—विश्वविद्यालय में आहूत मा० विद्या परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के वर्तमान परिदृश्य में दिव्यांगजन के शारीरिक विकास एवं उच्च शिक्षा में प्रोफेशनल कोर्स के रूप में स्नातक स्तर पर बी०पी०एड० पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। आहूत बैठक में मा० परिषद में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में लाए जाने के उद्देश्य से ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों के पूर्ती हेतु यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जाए। आहूत बैठक में सम्यक

	विचारोपरान्त मा0 परिषद में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालयके वर्तमान परिदृश्य में दिव्यांगजन के शारीरिक विकास एवं उच्च शिक्षा में प्रोफेशनल कोर्स के रूप में स्नातक स्तर पर बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हेतु क्रीड़ा एवं योग प्रकोष्ठ, निदेशक श्री पी0 राजीव नयन को अधिकृत किया गया।
15.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
1.	<u>विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्यातों के मानदेय निर्धारण के संबंध में।</u>
	निर्णय:-विश्वविद्यालय में मा0 विद्या परिषद् की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्यातों के मानदेय निर्धारण के संबंध में गहन विमर्श किया गया। मा0 परिषद में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के आधार पर विश्वविद्यालय में सेवारत अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान एवं यात्राभत्ता दिये जाने का प्राविधान है, उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय विशेषज्ञों को पर्याप्त मानदेय न मिल पाने के कारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्यों एवं अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है, उचित मानदेय नहीं प्राप्त होने के कारणों से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ विषय विशेषज्ञों द्वारा विश्वविद्यालय से पलायन भी किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में आहूत मा0 विद्या परिषद् की बैठक में विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मा0 परिषद द्वारा निम्नवत् निर्णय प्रदान किए गए:- 1. विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति कुल 11 माह के लिए की जायेगी। 2. चूँकि विश्वविद्यालय साईन लैग्वेंज इण्टरप्रेटर का नियत मासिक मानदेय धनराशि रु0 27,600/- पुनः निर्धारित करने हेतु वित्त समिति को सन्दर्भित किया जाये। इसी प्रकार अतिथि व्याख्याताओं के मासिक मानदेय को भी पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। 3. इस सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याताओं को दिए जाने वाले नियत मासिक मानदेय के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप से परिषद को अवगत कराया गया तथा सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को वित्त समिति को सन्दर्भित कर यथावश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
2.	<u>विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के संबंध में।</u>
	निर्णय:-विश्वविद्यालय में आहूत मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में प्रवेश समिति के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए (1) प्रवेश नियमों को अंगीकृत करते हुए मा0 परिषद के सदस्यों द्वारा दो बार परास्नातक प्रवेशहेतु 60 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता की शर्त के साथ मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रवेश दिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) भविष्य में प्रवेश नियमों में मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर यथावश्यक संशोधन किए जा सकेंगे।
किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।	

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ